षष्ठ अध्याय

राजनैतिक जागरुकता एवं पंचायतीराज व्यवस्था

राजनैतिक दल ऐसे व्यक्तियों का न्यूनाधिक संगठित समुदाय है जिनका सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों पर समान दृष्टिकोण है और जो अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिये शान्तिपूर्ण तथा संवैधानिक रीति से शासन पर अपना अधिकार चाहते हैं।1

पंचायतीराज की सप लता इस बात पर निर्भर करती है कि राजनीतिक दल उसकी (पंचायतीराज) गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें पंचायतीराज व्यवस्था राजनीति में श ाक्त को प्राप्त करने के लिये आधारभूत भूमिका निर्वाह करती है। निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि जैसे–जैसे चेतना निम्न स्तर पर जागृत होगी ये लोग राजनीतियों की महत्त्वाकांक्षी प्रवृत्तियों से कम प्रभावित होंगे, किन्तु प्रारम्भिक चरण में यह आवश्यक है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के हितों को देखते हुए आत्मसंयम से कार्य करे और निर्वाचित प्रतिनिधियों को दलगत राजनीति अपनाने का आवाहन न करें।2

इन स्थानीय संस्थाओं में विधानसभाओं और संसद की भाँति राजनीति दलों का प्रवेश करा देने से स्थानीय स्तर पर भी वही विकृति व्याप्त हो जायेगी जो राज्य और देश स्तर पर हावी है और जिसके कारण आज देश की दुर्दशा है। पंचायतों को आर्थिक विकास और स्थानीय शासन के मामले में अधिक अधिकारों से सम्पन्न कर जनता को बुनियादी स्तर से शासन और विकास–विनियोजन के मामले में भागीदार बनाकर लोकतन्त्र का यथार्थ रुप दिया जा सकता है।3

उपरोक्त विचारधारा के विपरीत इस विचार के भी लोगों का एक वर्ग है जो यह मानते हैं कि पंचायतीराज को किसी भी स्थिति में राजनीति से पृथक रखना सम्भव नहीं है। नम्बूदरीपाद का ़ष्टिकोण सही है कि पंचायतीराज का नवीन ढांचा केवल स्थानीय कार्य और अधिकार का एक साधारण अंग ही नहीं है बल्कि वह उन राजनीतिक शक्तियों का आधार बनने जा रहा है, जिसे पंचायतीराज कहते हैं। राजनीतिक दल इस स्थिति में यदि कदम उठाते हैं तो स्वभावतः उसकी शक्ति का ध्यान रखना होगा।4

इसी के समकक्ष पंचायतीराज निर्वाचन समिति का भी ़ष्टिकोण है कि यदि लम्बे समय तक पंचायतीराज संस्थाओं की वास्तविक शक्तियाँ बनी रही और इन शक्तियों के उपयोग के कारण उनका साधारण लोगों में प्रभाव बढ़ा तो यह निश्चित है कि राजनीतिक दलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संघर्ष इसलिये होगा क्योंकि अपनी शक्ति को बेहतर बनाये रखने के लिये अपने लोगों का इन संस्थाओं में किसी न किसी प्रकार प्रवेश दिलाना चाहेंगे और हाल के पंचायतीराज चुनावों में ऐसा ही हुआ है।5

किसी देश का राजनीतिक ढाँचा दूसरे देश के राजनीति ढांचे के अनुरुप हो सकता है लेकिन वहाँ की राजनीति समान नहीं हो सकती हैं। राजनीति वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक संस्थायें पुरानी हैं, किन्तु राजनीतिक संस्थायें नयी है। प्राचीन धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं और नयी राजनीतिक संस्थाओं में परस्पर अन्तःक्रिया से राजनीति के स्वरुप एवं शैली का विकास होता रहा है मॉरिश जोन्स ने अपनी पुस्तक "दि गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑप इण्डिया" में इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। उनके अनुसार– "भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं साामजिक

व्यवस्था में एक अस्थिर अन्तःविरोध पाया जाता है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के चुनाव नियमित कराये जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परितर्वन के चुनाव नियमित कराये जाते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और संयोजन होते हैं। परम्परागत होड़ स्पष्ट होती है और प्रश्नगत समूहों का प्रादुर्भाव होता है" वहाँ ऐसे मामले सामने आये हैं, जब कोई अनुसूचित जाति या धोबी या नाई अच्छे पदों पर चुन लिया गया हो तो अब तक किसी जाति विशेष या परिवार के एकाधिकार में रहा है। शक्ति समानता का यह परिवर्तन हमारी परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में है।

भारत में संसदीय लोकतन्त्र के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के अन्तर्गत "राजनीतिक सम्प्रभुता" की अवधारणा ने समय–समय पर होने वाले चुनावों के अतिरिक्त अपनी वास्तविक महत्ता खो दी है। यदि ग्राम पंचायत भारतीय राजनीति की आधारभूत इकाई की भाँति कार्य करती है तभी वह राजनैतिक सम्प्रभु जनता की सामुदायिक इच्छा शकित को लागू करने वाली एक जागरुक शक्ति के रुप में कार्य कर सकती है। रुसों ने कहा है कि– "सम्प्रभु केवल तभी कार्य कर सकता है जब जनता एकत्रित हो।"8

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की परिकल्पना बड़े आकार और जटिलपूर्ण जीवन वाले आधुनिक राज्य में लागू होती नहीं दिखती तो भी ग्रामीण संस्थाओं को नये रुप में वे विकसित किये जा सकते हैं। ग्राम स्तर पर गाँव को लोकतन्त्र की आधारभूत इकाई मानकर ही जनता की राजनीतिक सम्प्रभुता सुरक्षित की जा सकती है।

यह सम्भव नहीं है कि राजनीतिक दलों को पूर्णतया पंचायतीराज के क्षेत्र से अलग रखा जाये साधारणतया यह कहा जा सकता है कि जहाँ भी सत्ता है वहाँ

राजनीति निश्चय ही रहेगी, यह राजनीतिशास्त्र का मौलिक सिद्धान्त है जैसा कि अर्थशास्त्र में माँग और पूर्ति का।7

इनकी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए अशोक मेहता समिति ने संस्तुति की है कि राजनीतिक दलों को प्रत्येक स्तर के चुनाव में अनुमति होनी चाहिये। लेकिन यह अनुमति इस आधार पर होनी चाहिये कि– "राजनीतिक दल" बिना चुनाव चिन्ह के भाग लें, नहीं तो मतदाताओं के बीच इससे "चुनाव चिन्ह" से भ्रम पैदा होगा और राजनैतिक उत्तरदायित्व के मूल्यों में ह्रास होगा।8

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि में राजनीतिक दलों की भागीदारी के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है ऐसे विषय में संविधान को राजनीतिक दलों के बारे में तब तक कुछ नहीं कहना है जब तक कि समुचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान न हो, भारत के संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख केवल दल–बदल विरोधी धाराओं के सम्बन्ध में ही किया गया है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक जिसे कांग्रेस सरकार ने 1989 में संसद में प्रस्तुत किया था, पंचायत की परिभाषा स्वशासन की एक संस्था के रुप में की। राजनीतिक दलों को राज्य स्तर से नीचे की संस्थाओं में भागीदारी के सन्दर्भ में विरोधी विचारधाराओं के चलते तथा देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस (आई) के इस विषय पर बहुत अनुकूल ृष्टिकोण के अभाव में इस बहस का कागजी प्रयास इस तर्क के साथ समाप्त हुआ कि बिना राजनीतिक दलों की भागीदारी के पंचायतें केवल ऊपर से जनतान्त्रिक रहेंगी, उनमें तत्त्व का अभाव रहेगा।

महात्मा गांधी द्वारा जागृत सर्वोदय विचारधारा के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं को दलगत भावना से अलग माना गया। दल विहीन का तात्पर्य था कि राजनीतिक दलों को इससे दूर रखा जाय, सर्वानुमति को ही किसी निर्णय पर

पहुँचने के लिये सर्वश्रेष्ठ माना गया था। जयप्रकाश नारायण का मत था राजनीतिक दल सम्पूर्ण पंचायतराज योजनाओं को दूषित कर देंगे और विकेन्द्रीकरण को अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये प्रयुक्त करते हैं। सर्वोदयी विचारधारा के लोग भारतीय जनतन्त्र को पुनः नीचे ग्रामसभा स्तर से मजबूत कर निर्मित करना चाहते थे। ऊपर समिति, जिला, राज्य और राष्ट्रीय सतर पर इसकी पुर्नस्थापना की मान्यता करते थे। प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर अनिवार्य मानते थे। उनका मत था कि यदि 'सर्वसम्मति' से नहीं तो 'सामान्य अनुमति' का सिद्धान्त प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर लागू होगा, इससे दलगत राजनीति और चुनाव प्रचार का खात्मा होगा। निःसन्देह रुप से इस तत्त्व में एक उत्तर नैतिक भावना है, परन्तु हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित और अनभिज्ञ है। अतः इस दृष्टिकोण के समर्थको का मत था कि इसमें "इन्हें दलीय राजनीति के सन्घर्ष में तथा दलों की आकांक्षाओं का बन्धक तथा शिकार नहीं बनाया जाना चाहिये।" जयप्रकाश ्नाारायण राजनीतिक दलों के आलोचक थे। उनका मत था कि– "राजनैतिक दल स्वशासन में बाधक होते हैं और स्थानीय स्वतन्त्रता की भावना में बाधा उत्पन्न करते हैं" जयप्रकाश नारायण के अनुसार "स्थानीय स्वशासन एक ऐसी अवस्था में निर्मित नहीं हो सकती जिसमें प्रतिस्पर्धात्मक राजनैतिक दल हों।"9 जयप्रकाश नारायण का अन्तिम ृष्टिकोण 'दलविहीन' जनतन्त्र का था। उन्होंने 1961 में राज्य सरकारों को सलाह दी थी कि पंचायतों के चुनाव बिना संघर्ष के कराये जाने और जिन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव सम्पन्न हो उनहें पुरस्कृत किया जाये।

राजनैतिक संगठन के प्रति सहानुभूति

व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं सहभागिता का प्रदर्शन राजनीतिक दल की सदस्यता और उसके कार्यक्रमों में भाग लेने की प्रक्रिया के द्वारा अभिव्यक्त होता

है। राजनीतिक दल विशिष्ट नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं राजनीतिक दल न केवल किसी विशिष्ट राजविशिष्ट राजनीतिक विचारधारा का प्रतिबिम्ब होते हैं बल्कि उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य विशिष्ट स्वार्थ एवं अपने हितों का परिपोषण भी किया जाता है। राजनीतिक दलों की सदस्यता और उनकी सहानुभूति इन्हीं स्वार्थों और हितों की समानता के आधार पर निर्धारित होती है। बल्कि यूँ कहा जाय तो कोई आपत्ति न होगी कि व्यक्ति विशिष्ठ राजनीतिक विचारधारा का परिपोषण करने के कारण उस दल के कार्यक्रमों में भाग लेने लगता है। राजनीतिक दलों की सदस्यता के द्वारा न केवल व्यक्ति के राजनीतिक ़ष्टिकोण परिभाषित होते हैं वरन् उसके व्यवहारों के स्वरुप का निर्धारण भी होता हैं।

व्यक्ति के राजनीतिक सक्रियता की एक प्रमुख अभिव्यक्ति राजनीति में राजनैतिक संगठनों के प्रति लगाव है। राजनैतिक सहभागिता अत्यधिक राजनीतिक जागरुकता एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रत्येक मतदाता का रुझान किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से अवश्य ही होता है। अगर वह किसी राजनीतिक संगठन के प्रति विश्वास नहीं करता है तो चुनाव में व्यक्ति विशेष जो कि निर्दलीय प्रत्यासी किसी भी संगठन का उम्मीदवार नहीं होता है का समर्थन करता है जबकि ऐसा बहुत कम ही होता है। आज के राजनैतिक परिवेश अनेक राष्ट्रीय पार्टियों जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पाटी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी आदि राष्ट्रीय पार्टियों के अतिरिक्त अनेक क्षेत्रीय पार्टियाँ ऐसी है जो राज्य स्तरीय होती है जिनका अपने राज्य में मजबूत आधार होता है। इसी के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियाँ केन्द्र में भी अपना एहसास दिखाती है। क्योंकि आज के परिवेश में मतदाता पूरी तरह भ्रमित हो चुका है या यह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि आज के समय में मतदाता पूरी तरह सजग हो चुका है वह किसी एक

राजनैतिक पार्टी के पक्ष में नहीं है इसीलिये आज चाहे केन्द्र हो या प्रदेश प्रत्येक जगह मिली–जुली सरकारों का चलन बढ़ गया है।

व्यक्ति की राजनीतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित राजनीतिक सभा/चुनाव सभा में सहभागिता के द्वारा होती है। व्यक्ति की राजनीतिक दृष्टि से कितना जागरुक है तथा वह किस मात्रा में राजनीतिक रुप से सक्रिय है इसका पता सभाओं में उसकी सहभागिता के द्वारा लगता है।

व्यक्ति के राजनैतिक व्यवहार और राजनैतिक सहभागिता की एक महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति मतदान में भाग लेना है मतदान की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति न केवल प्रत्याशी के चयन प्रक्रिया में सक्रिय रुप से भाग लेता है वरन वह सरकार के गठन और सरकारी नीति के निर्धारण की प्रक्रिया को भी अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है मतदान राजनैतिक निर्णय की प्रक्रिया की एक अन्तिम कड़ी है जो व्यक्ति के राजनीतिक चयन और राजनैतिक महत्त्व के प्रश्नों के सम्बन्ध में एक निश्चित निर्णय की प्रक्रिया से सम्बन्धित है। नगरीय एवं ग्रामीण जीवन शैली की एक प्रमुख विशेषता व्यक्ति का मतदान एवं राजनैतिक व्यवस्था में अधिक सहभागिता है।

1947 में भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर नयी पंचायत व्यवस्था को लागू किया। इस पंचायत व्यवसथा ने गाँवों में नयी शक्ति संरचना को जन्म दिया। 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भी कानून बनाकर गाँवों में पंचायत अधिकारियों की व्यवस्था की थी।

नयी पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से पंचायतें न्याय पंचायतों तथा स्थानीय निकाय को नयी शक्ति प्रदान की। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शक्ति संरचना को जन सहयोग तथा लोकतन्त्र पर आधारित करना था। अब ग्रामीण नेताओं का चुनाव

वर्ग एवं जाति के स्थान पर न होकर उनके अर्जित गुणों के आधार पर होने लगा। लोकसभा, विधानसभा के साथ–साथ स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में नागरिकों की सक्रियता बढ़ रही है। शिक्षित वर्ग के साथ–साथ अशिक्षित वर्ग भी स्थानीय चुनाव में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय निर्वाचन स्थानीय होता है वह उस स्थान की समस्याओं के साथ जुड़ा होता है।

परम्परागत भारतीय समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता राज्य स्तर पर आधारित पंचायत व्यवस्था का रहा है। जातिगत संगठन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था का आधारभूत रहा है। जाति पंचायतों का अस्तित्व सभी जातियों में पाया जाता है। जहाँ तक जाति पंचायत ग्रामीण सामाजिक नियन्त्रण का एक प्रमुख आधार रहा है वहीं स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत व्यवस्था, नयी पंचायतीराज व्यवस्था ग्रामीण विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है।

पंचायतीराज व्यवस्था को 1993 के संविधान संशोधन के द्वारा अधिक स्वायत्तशासी बनाकर ग्रामीण व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया है साथ ही 1992 के संविधान संशोध (72वें) में संशोधन करके स्थानीय निकाय को भी महत्त्वपूर्ण बनाया गया है। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में स्थानीय निकाय, पंचायत चुनाव स्थानीय स्तर पर होने के कारण अन्य चुनावों से अधिक सहभागिता होती है।

स्थानीय राजनैतिक सक्रियता, राजनैतिक क्रिया–कलापों में व्यक्ति तभी भाग लेता है जब वह अपनी आर्थिक एवं व्यावसायिक स्थिति से पूर्णतया सन्तुष्ट हो। आर्थिक रुप से सम्पन्न होने तथा व्यावसायिक स्थिति अच्छी होने के कारण वे राजनैतिक गतिविधियों एवं निर्वाचनों में पर्याप्त रुप से सहभागिता प्रदान करते है। उनकी सहभागिता किसी भी रुप में हो सकती है। जैसे राजनैतिक दलों से जुड़कर, चुनाव प्रचार में भाग लेकर, चुनाव में प्रतिभाग करके इत्यादि। ऐसा मत है कि

किसी भी स्थान पर अवस्थिति होने या पूर्णतया समायोजित होने के लिये उस स्थान विशेष के राजनैतिक जीवन से जुड़ना आवश्यक होता है।

राजनैतिक गतिविधियों में कुछ व्यक्तियों को छोड़कर लगभी सभी किसी न किसी रुप में जुड़े होते हैं राजनैतिक सक्रियता सर्वाधिक चुनाव के समय में होती है। स्थानीय समुदाय में राजनीतिक सक्रियता सीमान्त होती है, क्योंकि वह न तो अपने मूल स्थान के सामाजिक–राजनैतिक जीवन से पूरी तरह से जुड़ पाते हैं और न ही स्थानीय राजनैतिक–सामाजिक जीवन से ही जुड़ सके हैं किन्तु वह राजनीति में अपनी भागीदारी अवश्य रखते हैं।

आदिकाल से ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अतः भू–स्वामित्व के अधिकार एवं उनके सामाजिक सम्बन्धों में प्रभुता एवं अधीनता की स्थिति को निश्चित करते थे। भू–स्वामित्व के अधिकार ही समुदाय के लोगों की आर्थिक उपेक्षाओं पर नियतन्त्रण रखते थे। जमींदारी व्यवस्था ही गाँवों में शक्ति संरचना के रुप में विकसित हो गयी और यही नेताओं का निर्धारण भी करने लगी। यही प्रथा गाँव पंचायत एवं जाति पंचायत की भूमिकाओं को भी प्रभावित किया।

जमींदारी प्रथा ने अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं न्यायिक अधिकारों को जन्म दिया। इन अधिकारों में कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं। बिना कानून के ही जमींदार बहुत शक्तिशाली होते थे और गाँव के लोग भी कानून से अधिक प्रथाओं को स्वीकार करते थे। जमींदारी प्रथा ने गाँवों में इस प्रकार से एक विशिष्ट शक्ति संरचना को जन्म दिया।

आज के वर्तमान परिवेश में भी राजनीतिक व्यवस्था उन्हीं के हाथों में है जो शक्तिशाली है जैसा कि पूर्व समय में जमींदारों में गाँव की पूरी शक्ति निहित होती

थी या कोई राजा किसी राज्य पर अधिकारपूर्वक राज करता था, समय बदला है परिस्थितियाँ नहीं राजा पूर्व के समय में भी राज करता था, राजा आज के समय में भी राज्य की सत्ता का संचालन करता है प र्क मात्र इतना है कि उस समय राजा का चुनाव वंश परम्परा के अनुसार होता था, आज राजा का चुनाव जनता के द्वारा होता है क्योंकि प्रजातन्त्र में प्रजा ही सर्वोपरि होती है।

प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक संरचना में शक्ति संरचना एवं नेतृत्व का आधार रहा है सामाजिक संरचना के तीन मुख्य आधारों जातिप्रथा, संयुक्त परिवार एवं ग्रामीण पंचायत। अर्थात् पंचायतों का आधार आदिकाल से सही अस्तित्व में रहा है। परिवर्तन केवल उसके स्वरुप से हुआ हैं। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबन्ध शान्ति एवं सुरक्षा की एकमात्र संस्था रही है।

स्थानीय शक्ति संरचना में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक निर्विरोध चुनाव की व्यवस्था थी, निर्विरोध चुनाव का आधार प्रत्याशी की अपनी सामाजिक पकड़ की उच्च प्रस्थिति को दर्शाती है, किन्तु समय परिवर्तन के साथ इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आज के वर्तमान परिवेश में निर्विरोध चुनाव बाहुबल का प्रतीक बनता जा रहा है, आज जो शक्तिशाली है सत्ता भी उसी के हाथ में है। सत्ता प्राप्ति के लिये शक्ति एक आवश्यक अंग बन चुकी है। आज के सामाजिक व्यवस्था में जाति व्यवस्था भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, प्रत्याशी किस पार्टी का है यह महत्त्वपूर्ण आधार नहीं रहा बल्कि वह किस जाति का है महत्त्व इसका है, आज के स्थानीय शक्ति संरचना में जाति भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

मानव द्वारा आदिकाल से ही ज्ञान का संचय किया जाता रहा है प्रत्येक नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी द्वारा कुछ ज्ञान सामाजिक विरासत में प्राप्त होता है और कुछ वह स्वयं ही अर्जित करता है मानव की प्रत्येक पीढ़ी में सीखने की प्रक्रिया और

हस्तांतरण द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती गयी है। ज्ञान की यह परम्परागत शृङ्खला ही शिक्षा है, जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक प्रगति की है। शिक्षा ने ही मानव को पशु–स्तर से ऊँचा उठाया है और सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। शिक्षा की अवस्थायें ही किसी देश के विकास की स्थिति को प्रकट करती है। एक देश में अशिक्षित एवं अज्ञानी लोगों की संख्या के आधार पर ही उसकी विकसित या अविकसित अवस्था का ज्ञान किया जा सकता है।

राजनैतिक शक्ति संरचना में आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण आधार बन चुका है। प्राचीन काल की राजनैतिक व्यवस्था में शिक्षा की अनिवार्यता नहीं थी और आज भी इसको संवैधानिक रुप नहीं प्रदान किया गया है परन्तु कार्य स्थिति को देखते हुए शिक्षा की अनिवार्यता अपरिहार्य हो चुकी है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अपने परिवार, गाँव समाज और देश के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नवीन परिस्थितयों में शिक्षा का महत्त्व बढ़ा है। आज ग्रामीण पहले की तरह कम पढ़े–लिखे अथवा अनपढ़ के स्थान पर शिक्षित हैं। शिक्षित व्यक्ति सरकारी काम काज को दक्षतापूर्वक कर कसता हैं, इसलिये अशिक्षितों की तुलना में नेतृत्व का लाभ शिक्षित व्यक्तियों को अधिक प्राप्त होता है। सरकारी नियमों के अनुसार सरपंच के लिये पढ़ा–लिखा होना चाहिये।

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में अनेक राजनैतिक परिवर्तन हुए। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये। गाँवों में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण लागू किया गया। गाँव पंचायतों, पंचायतों समितियों और जिला परिषदों के द्वारा ग्रामीणों को प्रजातन्त्रीय प्रशासन में भागीदारी दी गयी। प्रजातन्त्र में अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ ग्रामवासियों को गाँव के विकास व न्यायिक प्रक्रिया

में भाग लेने के लिये अवसर प्राप्त हुए। अपने इस नवीन उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा व लगन से पालन करने के लिये उनमें शिक्षा के माध्यम से ही जागरुकता पैदा की जा सकती है।

सारणी संख्या 6.1

राजनैतिक संगठनों के प्रति सहानुभूति का विवरण

क्र.सं.	राजनैतिक संगठन के प्रति सहानुभूति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	280	70.00
2.	नहीं	120	30.00
	योग	400	100.00

सारणी संख्या 6.1 के अध्ययन में उत्तरदाताओं से राजनैतिक संगठनों के प्रति सहानुभूति की स्थिति के प्रति विचार जानने का प्रयास किया गया है। जिसमें सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 280 (70.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने राजनैतिक संगठन के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी है। जबकि मात्र 120 (30.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत इसके विपरीत है क्योंकि संगठन में उनका विश्वास नहीं है।

अतः अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि राजनैतिक संगठनों के प्रति आज भी लोगों का विश्वास बना हुआ है, चाहे वह स्थानीय समाज हो या समुदाय लोगों को लोकतन्त्र के प्रति अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करने में राजनैतिक संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके माध्यम से प्रत्येक देश अपने आपको लोकतन्त्र से जुड़ा हुआ पाता है।

सारणी संख्या 6.2

राजनैतिक संगठनों से लगाव का विवरण

क्र.सं.	राजनैतिक संगठनों से लगाव की स्थिति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	90	22.50
2.	भारतीय जनता पार्टी	26	6.50
3.	समाजवादी पार्टी	88	22.00
4.	बहुजन समाज पार्टी	160	40.00
5.	अन्य	36	9.00
	योग	400	100.00

सारणी संख्या 6.2 के आधार पर उत्तरदाताओं की राजनैतिक संगठनों के प्रति लगाव के विषय में प्रश्न किये गये। इस आधार पर उनसे यह जागने का प्रयास किया गया कि वे किस राजनैतिक संगठन के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हैं। सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 90 (22.50 प्रतिशत) कांग्रेस पार्टी के प्रति 26 (6.5 प्रतिशत) भारतीय जनता पार्टी के साथ, 88 (22.00 प्रतिशत) समाजवादी पार्टी के साथ तथा 160 (40.00 प्रतिशत) बहुजन समाज पार्टी के प्रति तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति 36 (9.00 प्रतिशत) अपनी सहानुभूति रखते हैं या जुड़े हुए हैं।

सारणी संख्या 6.3

विगत लोकसभा निर्वाचन में मतदान के विवरण का ब्यौरा

क्र.सं.	मतदान का विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	भाग लिया	298	74.50
2.	भाग नहीं लिया	102	25.50
	योग	400	100.00

सारणी संख्या 6.3 के अध्ययन में उत्तरदाताओं की विगत लोकसभा निर्वाचन में सहभागिता की स्थिति पर विचार जानने का प्रयास किया गया। जिसमें सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 298 (74.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने मतदान में भाग लिया जबकि 102 (25.50 प्रतिशत) उत्तरादाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया क्योंकि वे राजनीतिक दलों के क्रिया–कलापों से सन्तुष्ट नहीं थे।

अतः उपरोक्त सारणी के अध्ययन से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक उत्तरदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग विगत लोकसभा चुनाव में किया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज के परिवेश में जहाँ आम नागरिकों में मतदान में रुचि घट रही है वहीं स्थानीय नागरिकों ने इसके प्रति अपनी रुचि दिखायी है। यह तथ्य उनकी राजनीतिक सक्रियता का परिचायक है।

सारणी संख्या 6.4

विगत पंचायत/निकाय निर्वाचन में सहभागिता का ब्यौरा

क्र.सं.	सहभागिता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ (भाग लिया)	300	75.00

2. नहीं (भाग नहीं लिया) 100 25.00

योग 400 100.00

सारणी संख्या 6.4 के अध्ययन में उत्तरदाताओं से विगत पंचायत/निकाय चुनाव में सहभागिता के प्रश्न पर उनका मत जानने का प्रयास किया गया है। सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 300 (75.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्थानीय चुनाव में भाग लिया और 100 (25.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वे चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र से बाहर थे।

अतः निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में स्थानीय निकाय के चुनाव में उत्तरदाताओं ने अधिक सक्रियता से भाग लिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अन्य चुनावों की अपेक्षा स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी अधिक सक्रिय होती है।

सारणी संख्या 6.5

विगत निकाय के चुनाव में सहभागिता का प्रकृति

क्र.सं. सहभागिता की प्रकृति उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत

1. मात्र मतदाता के रुप में 230 57.50

2. किसी का समर्थन करके 75 18.75

3. अपना प्रत्याशी खड़ा करके 15 3.75

4. भाग नहीं लिया 80 20.00

योग 400 100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.5 के अध्ययन में विगत निकाय चुनाव में सहभागिता की प्रकृति पर उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया, जिसमें सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 230 (57.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव में मात्र मतदाता के रुप में अपनी सहभागिता दिखायी। 75 (18.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपने खास परिचित उम्मीदवार का समर्थन करके चुनाव में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है एवं 15 (3.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने अपना प्रत्याशी चुनाव में खड़ा करके अपनी सहभागिता दिखायी। जबकि मात्र 80 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे है जिन्होंने निकाय चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया।

अतः अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि स्थानीय निकाय चुनाव में सहभागिता के प्रकृति में सर्वाधिक उत्तरदाता मतदाता के रुप में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की जो कि सर्वाधिक (76.25 प्रतिशत) रहा, जबकि सबसे कम (3.75 प्रतिशत) उत्तरदाता ऐसे रहे जिन्होंने चुनाव में अपना प्रत्याशी खड़ा करके हिस्सा लिया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर चुनाव के प्रति उत्तरदाताओं में अच्छी रुचि बनी हुई है।

सारणी संख्या 6.6

राजनैतिक गतिविधियों एवं निर्वाचन में सक्रियता का स्तर

क्र.सं.	राजनैतिक सक्रियता का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अत्यधिक सक्रिय	216	54.00
2.	सामान्य	77	19.25

3. तटस्थ 100 25.00

4. अन्य 07 1.75

योग 400 100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.6 के अध्ययन में राजनैतिक गतिविधियों एवं निर्वाचन में सक्रियता पर उत्तरदाताओं का मत जानने का प्रयास किया गया है जिसमें सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 216 (54.00 प्रतिशत) उत्तरदाता राजनीति में अत्यधिक सक्रिय हैं। 77 (19.25 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की राजनीति के प्रति सामान्य रुचि है। जबकि मात्र 100 (25.00 प्रतिशत) उत्तरदाता यह मानते है कि राजनीति के प्रति उनका कोई रुझान नहीं है, अतः वे तटस्थ हैं।

अतः सारणी के अध्ययन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि राजनीति के प्रति एवं निर्वाचन के प्रति सक्रियता तो हैं किन्तु इसका स्तर सामान्य है, जिनकी रुचि राजनीति में अधिक है, उनका प्रतिशत मात्र 54.00 है।

सारणी संख्या 6.7

स्थानीय राजनीति की शक्ति संरचना के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय समूहों की भूमिका

क्र.सं. भूमिका स्तर उत्तरदाताओं की संख्या प्रतिशत

1. स्थानीय स्तर के सभी राजनीतिक 227 56.75

पदों पर

2. जिला स्तर पर 90 22.50

3. अन्य 83 20.75

योग 400 100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.7 के अध्ययन में स्थानीय राजनीति की शक्ति संरचना के विभिन्न स्तरों पर स्थानीय समूहों की भूमिका पर उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया जिसमें सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 227 (56.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि वे स्थानीय स्तर के सभी राजनीतिक पदों पर अपनी उपस्थिति रखना चाहते हैं, जबकि 90 (22.50 प्रतिशत) जिला स्तरीय पदों पर अपनी राजनैतिक पकड़ रखना पसन्द करते हैं।

अतः उपरोक्त सारणी संख्या 6.7 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अधिकतर उत्तरदाता स्थानीय राजनीति में अपनी पकड़ बनाये रखना चाहते हैं जबकि जिला स्तर पर राजनीति करने वाले लोगों की संख्या कम है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय स्तर पर राजनैतिक भागीदारी करने वाले समूह के लोगों की संख्या अधिक है। जो स्थानीय राजनीति में शक्ति संरचना को और अधिक मजबूत बनाता है।

सारणी संख्या 6.8

स्थानीय शक्ति संरचना में स्थानीय समूहों के प्रत्याशियों के चयन के आधार

क्र.सं.	चयन का आधार	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	अपना समूह	85	21.25
2.	कोई भी अन्य समुदाय	80	20.00
3.	स्थानीय लोग	235	58.75
	योग	400	100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.8 के अध्ययन में स्थानीय शक्ति संरचना में स्थानीय समूहों के प्रत्याशियों के चयन के आधार पर उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया है। जिसमें सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 85 (21.25 प्रतिशत) उत्तदाताओं ने स्वीकार किया है कि स्थानीय शक्ति संरचना में प्रत्याशी स्थानीय समूह का होना चाहिये। 80 (20.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि प्रत्याशी किसी भी समुदाय का हो सकता है तथा 235 (58.75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना है कि स्थानीय शक्ति संरचना में प्रत्याशी का चयन स्थानीय स्तर पर हो जिसमें स्थानीय लोगों का ही प्रतिनिधित्व हो।

अतः उपर्युक्त सारणी के अध्ययन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि समुदाय के लोगों में प्रत्याशी के चयन का आधार स्थानीय लोगों के प्रति अधिक रहा जिसका प्रतिशत 58.75 रहा स्थानीय स्तर पर लोगों के प्रति अधिक विश्वास है इससे यह प्रतीत होता है कि स्थानीय लोगों का विश्वास अन्य समुदाय के लोगों से अधिक है ऐसा इसलिये भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने नजदीक के लोगों को अधिक अच्छी तरह से जानता है अपेक्षाकृत दूर के। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर समूहों के प्रत्याशियों को स्थानीय लोगों के प्रति जो विश्वास चयन के आधार में दिखाया है वह सही है।

सारणी संख्या 6.9

स्थानीय राजनीति एवं प्रत्याशियों के चयन में शिक्षा का मापदण्ड

क्र.सं.	शिक्षा के स्तर का मापदण्ड	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ (मापदण्ड होना चाहिये)	310	77.50
2.	नहीं (कोई आवश्यकता नहीं है)	90	22.50

योग 400 100.00

उपर्युक्त सारणी संख्या 6.9 के अध्ययन में स्थानीय राजनीति एवं प्रत्याशियों के चयन में शिक्षा का क्या मापदण्ड होना चाहिये का विचार जानने का प्रयास किया गया है। सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 310 (77.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि स्थानीय राजनीति में प्रत्याशियों का शैक्षिक आधार होना चाहिये, जबकि मात्र 90 (22.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विचार है कि प्रत्याशियों के चयन में शैक्षिक स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आज के सामाजिक वातावरण में शिक्षा की भूमिका को देखते हुए स्थानीय राजनीति में प्रत्याशियों को भी इस मापदण्ड में बाँधा जाय, क्योंकि 400 उत्तरदाताओं में से 310 (77.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विचार है कि शिक्षा को अनिवार्य रुप में लागू किया जाना चाहिये, क्योंकि जब तक प्रत्याशी शिक्षित नहीं होगा वह विकास कार्यों को न तो समझ पाता है और न ही उनका क्रियान्वयन कर पाता है। ऐसी स्थिति में कोई सशक्त व्यक्ति ही उसका लाभ उठाता है।

सारणी संख्या 6.10

प्रत्याशियों के चयन में न्यूनतम शिक्षा का स्तर

क्र.सं.	शिक्षा के स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षर	60	15.00
2.	प्राथमिक	40	10.00
3.	माध्यमिक शिक्षा	60	15.00

4. स्नातक 178 44.50

5. परास्नातक 62 15.50

योग 400 100.00

उपरोक्त सारणी संख्या 6.10 के अध्ययन में प्रत्याशियों के चयन में न्यूनतम शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिये। इस पर उत्तरदाताओं के विचार जानने का प्रयास किया गया है सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में से 60 (15.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि प्रत्याशियों के चयन का आधार मात्र साक्षर होना चाहिये। 40 (100.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षा का स्तर प्राथमिक होना चाहिये। 60 (15.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विचार है कि प्रत्याशियों के चयन का आधार माध्यमिक शिक्षा होना चाहिये जबकि 178 (44.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने माना है कि प्रत्याशियों के चयन का आधार कम से कम स्नातक होना चाहिये तथा 62 (45. 50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मत है कि प्रत्याशियों के चयन का आधार कम से कम परास्नातक होना चाहिये।

अतः अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि प्रत्याशियों में चयन का आधार कम से कम स्नातक होना चाहिये। क्योंकि सम्पूर्ण 400 उत्तरदाताओं में 178 (44.50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि प्रत्याशियों का शैक्षिक स्तर उच्च कोटि का होना चाहिये, जिससे विकास कार्यों के क्रियान्वयन में कोई बाँधा न उत्पन्न हो, विकास कार्य निर्बाध गति से चलते रहें।

सन्दर्भ सूची

1. सुभाष कश्यप तथा विश्व प्रकाश गुप्त, राजनीति कोष, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, (1971) पृष्ठ संख्या 336.

2. जय प्रकाश नारायण, स्वराज प ार दि पीपुल, वाराणसी, वाराणसी अखिल भारत सर्व सेवा संघ, 1961, पृष्ठ संख्या 8–9.

3. आज, सम्पादकीय : पंचायतीराज की सार्थकता, 7 जनवरी, 1979, पृष्ठ संख्या 4.

4. ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद, "पॉलिटिकल पार्टीज एण्ड पंचायतीराज, दि इण्डियन जर्नल ऑप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम 6, अंक 4, अक्टूबर–दिसम्बर 1862, पृष्ठ संख्या 620–62.

5. मिनिस्ट्री ऑप कम्यूनिटी डेवलपमेण्ट एण्ड कोआपरेशन, कमेटी ऑन पंचायतीराज इलेक्शन रिपोर्ट, के. संथानम, लीडर नई दिल्ली, दि मिनिस्ट्री, 1965, पैरा 11–7.

6. रुसो, जी. जेक्स, "दि सोशल कान्ट्रैक्ट (मोरिस क्रेस्टन द्वारा अनुवादित और प्रस्तुत) पेंग्विन बुक्स मिडिलसेक्स इंग्लैण्ड पुर्नमुद्रित, 1974, पृष्ठ संख्या 136.

7. मायनर विनर, "पॉलिटिकल पार्टीज एण्ड पंचायतीराज, दि इण्डियन जर्नल ऑप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्यूम 8, नं. 4, अक्टूबर–दिसम्बर 1962, पृष्ठ संख्या 624.

8. मिनिस्ट्री ऑप एग्रीकल्चर एण्ड इरिगेशन डिपार्टमेण्ट ऑप रुरल डेवलपमेण्ट कमेटी, आन पंचायतीराज इंस्टिट्यूशन रिपोर्ट, अशोक मेहता, लीडर, गवर्नमेण्ट ऑप इण्डिया प्रेस, पृष्ठ संख्या 52.

9. सिंह, भानु प्रताप, तत्कालीन केन्द्रीय कृषि राज्य मन्त्री ने लोक सभा को सूचित किया कि अभी तक नौ राज्यों तथा दो केन्द्रशासित प्रदेशों से इस

विषय पर टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। दि टाइम्स ऑप इण्डिया, नई दिल्ली, 24 अप्रैल 1979, पृष्ठ संख्या 2.